

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
शुद्धि पत्र
अधिघोषणा

परियोजना का नाम- बिहार पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
मौजा का नाम-मोरा, थाना नं०-490, थाना-बिहार, जिला-नालन्दा

1. बिहार पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मौजा-मोरा थाना नं०-490 में 133.28 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु अधिघोषणा सं० 1422/रा०, दिनांक 12.09.08 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" एवं "फारूकी तंजीम" में दिनांक 19.09.08 को पृष्ठ सं० 06 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक सं० 07 दिनांक 13.10.08 के पृष्ठ सं० 01 पर किया गया था।
2. अधिघोषित 133.28 एकड़ भूमि में पूर्व से एल०ए० सं० 16/69-70 द्वारा केवाली-राजगीर-गिरियक पथ विस्तार हेतु अधिग्रहित 0.67 एकड़ भूमि सम्मिलित रहने के कारण शुद्धि-पत्र अधिघोषणा सं० 679/रा०, दिनांक 05.04.10 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" एवं "फारूकी तंजीम" में दिनांक 14.04.10 को क्रमशः पृष्ठ सं० 13 एवं 03 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक सं० 10 दिनांक 22.04.10 के पृष्ठ 04 पर कर के कमोवेश रकवा 133.28 एकड़ के स्थान पर 132.61 एकड़ संशोधित किया गया।
3. पंचाट तैयार करने के क्रम में पाया गया कि खेसरा 211 एवं 290 का खतियानी रकवा क्रमशः 0.67 एकड़ एवं 0.30 एकड़ की जगह भूलवश क्रमशः 0.97 एकड़ एवं 0.38 एकड़ अभिलिखित हो जाने के कारण कुल 0.38 एकड़ रकवा कमोवेश रकवा में अतिरिक्त अधिघोषित हो गया।
4. अतएव दिनांक 14.04.10 के "प्रभात खबर" एवं "फारूकी तंजीम" के पृष्ठ सं० 13 तथा दिनांक 22.04.10 के "जिला गजट" के असाधारण अंक सं० 10 के पृष्ठ सं० 04 पर प्रकाशित शुद्धि-पत्र अधिघोषणा सं० 679/रा०, दिनांक 05.04.10 में कमोवेश रकवा 132.61 एकड़ के स्थान पर 132.23 एकड़ पढ़ा जाय।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा

अपर समाहर्ता,
नालन्दा।

समाहर्ता,
नालन्दा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक सं०-15/डी०एल०ए० नालन्दा-10/08 -.....32...../रा०, पटना-15, दिनांक-04-01-13

प्रतिलिपि :-

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू-अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।
3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/11/13
सरकार के अवर सचिव।